कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांकः F37(2)/नि.आ./एम्पावर्ड कमेटी/का.वि./2017 2062 दिनांकः– 04/10/17

–:कार्यवाही विवरणः–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 25.04.2017 द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी की द्वितीय बैठक दिनांक 26.09.2017 को माननीय श्री महेन्द्र राठौड अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई। जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 1 पर संलग्न है। बैठक में एजेण्डावार लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
1.	01.	—	एम्पावर्ड कमेटी की बैठक 1/2017 दिनांक 05.07.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	समिति द्वारा एम्पावर्ड कमेटी की बैठक 1/2017 दिनांक 05.07.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।
2.	02.	पूर्व	राजस्व ग्राम ढण्ढ के खसरा संख्या 43 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।	समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि :– • आवेदित भूमि बाबत आपत्ति एवं सुझाव हेतु विज्ञप्ति समाचार पत्रों में दी जा चुकी है जिसकी प्रति पत्रावली के पृष्ठ संख्या 38 व 39 पर संलग्न है। • प्रकरण में 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण एवं 17.06.1999 से पूर्व के दस्तावेज है। इस सम्बन्ध में टिप्पणी पत्रावली के पैरा संख्या 24 पर अंकित है। • आवेदित भूमि का भू उपयोग आवासीय दर्शित है एवं इसकी टिप्पणी पत्रावली के बिन्दु संख्या 28 पर अंकित है। पार्ट लेण्ड यूज प्लान पत्रावली के पृष्ठ संख्या 36 पर संलग्न है। • समिति की पूर्व बैठक दिनांक 05.07.17 में एच0टी लाईन व राजस्व रास्ते के संबंध में लिये गये निर्णय के क्रम में कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार मौके पर 33 केवी की एच टी लाईन है जिसके नीचे राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.03.17 के अनुसार न्यूनतम 5.6 मीटर सुरक्षात्मक दूरी छोडते हुए सडक प्रस्तावित की जानी है। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित राजस्व रास्ते पर पूर्व में 40 फीट सडक मार्गाधिकार रखते हुए ले आउट अनुमोदन किया गया था। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विक्रय योग्य क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से अधिक होने के कारण प्रकरण सक्षम स्वीकृति हेतु मय अनुशंषा के जिसमें प्रश्नगत प्रकरण में उक्त राजस्व रास्ते की चौडाई 40 फीट रखते हुए भेजे जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार को उपायुक्त पूर्व से निम्नांकित बाबत रिपोर्ट लेने के पश्चात् ही प्रकरण को भिजवाया जावे। अतः संबंधित उपायुक्त निम्नांकित बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे :– • प्रश्नगत प्रकरण में कोई सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं है। • प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त हुई है अथवा नहीं, बाबत टिप्पणी। • विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है, भूमि अवाप्ति में भी नहीं है, बाबत टिप्पणी।
3.	03.	पूर्व	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 120 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।	समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि :– • प्रकरण में 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण एवं 17.06.1999 से पूर्व के दस्तावेज है। इस सम्बन्ध में टिप्पणी पत्रावली के पैरा संख्या 03 पर अंकित है। • आवेदित भूमि का भू उपयोग आवासीय दर्शित है एवं इसकी टिप्पणी पत्रावली के बिन्दु संख्या 08 पर अंकित है। पार्ट लेण्ड यूज प्लान पत्रावली के पृष्ठ संख्या 86 पर संलग्न है। • प्रकरण में सर्वेयर द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में दर्शाये अनुसार आवासीय 67.18 प्रतिशत नो कन्स्ट्रक्शन एरिया 6.73 एवं

				सडक 26.09 प्रतिशत प्राप्त होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संबंधित उपायुक्त निम्नांकित बिन्दुओं नर रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे। • प्रश्नगत प्रकरण में कोई सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं है। • प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में जारी विज्ञप्ति तथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त हुई है अथवा नहीं, बाबत टिप्पणी। • विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है, भूमि अवाप्ति में भी नहीं है, बाबत टिप्पणी। • आवेदित भूमि एच टी लाईन से प्रभावित है अथवा नहीं, तथा क्षमता बाबत टिप्पणी।
4.	04.	पूर्व	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 119 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।	समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि – • प्रकरण में 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण एवं 17.06.1999 से पूर्व के दस्तावेज है। इस सम्बन्ध में टिप्पणी पत्रावली के पैरा संख्या 04 पर अंकित है। • आवेदित भूमि का भू उपयोग आवासीय दर्शित है एवं इसकी टिप्पणी पत्रावली के बिन्दु संख्या 08 पर अंकित है। पार्ट लेण्ड यूज प्लान पत्रावली के पृष्ठ संख्या 78 पर संलग्न है। • प्रकरण में सर्वेयर द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में दर्शाये अनुसार आवासीय 73.92 प्रतिशत पार्क 0.49 एवं सडक 25.59 प्रतिशत प्राप्त होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विकय योग्य क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से अधिक होने के कारण प्रकरण सक्षम स्वीकृति हेतु मय अनुशंषा राज्य सरकार को उपायुक्त पूर्व से निम्नांकित बाबत रिपोर्ट लेने के पश्चात् भिजवाने का निर्णय लिया गया। अतः संबंधित उपायुक्त निम्नांकित बिन्दुओं नर रिपोर्ट प्रस्तुत करे :– • प्रश्नगत प्रकरण में कोई सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं है। • प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त हुई है अथवा नहीं, बाबत टिप्पणी। • विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है, भूमि अवाप्ति में भी नहीं है, बाबत टिप्पणी। • आवेदित भूमि एच टी लाईन से प्रभावित है अथवा नहीं, तथा क्षमता बाबत टिप्पणी।
5.	05.	पूर्व	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 99 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुनोदन के संबंध में।	समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि आवेदित भूमि का ले आउट प्लान पूर्व में जेड एल सी दिनांक 23.01.14 द्वारा अनुमोदित है तथा ले आउट प्लान में भूखण्ड संख्या 347/53, 348/52, 349/51 व 350/50 की मौके व दस्तावेजो अनुसार स्थिती पटवारी द्वारा स्पष्ट की गई है कि संलग्न दस्तावेज व मौका स्थिति अनुसार ले आउट में स्थिति भिन्न है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ले–आउट प्लान मे भूखण्ड संख्या–347/53, 348/52, 349/51 व 350/50 की मौके व दस्तावेजो अनुसार ले–आउट प्लान मे संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।
6.	06.	पश्चिम	राजस्व ग्राम सूथला के खसरा संख्या 103, 106 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।	समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि :– • प्रस्तुत ले आउट प्लान में मुख्य चौपासनी सडक को 200 फीट रखने के उपरान्त कुल भूखण्डों की संख्या 11 व निर्मित भवनों की संख्या 1 रह जाती है। जिससे निर्मित भवनों का प्रतिशत 10 प्रतिशत से कम प्राप्त होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा मौके पर 10 प्रतिशत से कम निर्माण होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

7.	07.	पश्चिम	राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा संख्या 636 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।	समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि निम्नांकित बाबत उपायुक्त से स्पष्ट रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे :– • आवेदित भूमि के मध्य कोई सरकारी भूमि स्थित है अथवा नहीं बाबत। • समाचार पत्र में जारी विज्ञप्ति के क्रम में आपत्ति है अथवा नहीं बाबत । • प्रश्नगत भूमि केचमेन्ट एरिया में है या नहीं बाबत। • प्रश्नगत भूमि अवाप्ति में है या नहीं एवं योजना के अनुमोदन में विधिक रूप से कोई आपत्ति है अथवा नहीं बाबत। • आवेदित भूमि एच टी लाईन से प्रभावित है अथवा नहीं, तथा क्षमता बाबत टिप्पणी।
8.	08.	पश्चिम	राजस्व ग्राम सूथला के खसरा संख्या 130 व बट्टे नंबर की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।	समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि :– • प्रकरण में 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण एवं 17.06.1999 से पूर्व के दस्तावेज है। इस सम्बन्ध में टिप्पणी ले आउट पर पटावारी / अमीन द्वारा की गई है। • आवेदित भूमि का भू उपयोग आवासीय दर्शित है एवं इसकी टिप्पणी पत्रावली के बिन्दु संख्या 33 पर अंकित है। पार्ट लेण्ड यूज प्लान पत्रावली के पृष्ठ संख्या 132 पर संलग्न है। • खसरा संख्या 130/5, 130/6 व 130/7 का क्षेत्रफल विश्लेषण आवासीय 67.49 प्रतिशत पार्क एवं ओपन 5.81 प्रतिशत एवं सडक 26.70 प्रतिशत प्राप्त होता है। • खसरा संख्या 130/3 का क्षेत्रफल विश्लेषण आवासीय 66.81 प्रतिशत एवं सडक 33.19 प्रतिशत प्राप्त होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पत्रावली पर निम्नांकित बाबत उपायुक्त की रिपोर्ट ली जावे :– • प्रश्नगत प्रकरण मे कोई सरकारी भूमि सम्मिलित तो नहीं है। • प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त हुई है अथवा नहीं, बाबत टिप्पणी। • विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है, भूमि अवाप्ति में भी नहीं है, बाबत टिप्पणी। • आवेदित भूमि एच टी लाईन से प्रभावित है अथवा नहीं, तथा क्षमता बाबत टिप्पणी। उपरोक्त रिपोर्ट उपायुक्त से प्राप्त होने के पश्चात् निम्नांकित शर्तो के साथ ले आउट प्लान अनुमोदन का निर्णय लिया गया :– • नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु (iv) के अनुसार उपायुक्त प्रश्नगत ले आउट प्लान पर यह अंकित करेंगे की "प्रश्नगत प्रकरण में कोई सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं है यदि कोई सरकारी भूमि पाई जाती है तो इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/आदेशों अनुसार उपायुक्त अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है, भूमि अवाप्ति में भी नहीं है, मौके पर 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण है, उक्त कॉलोनी 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी हुई है एवं राज्य सरकार के आदेश कमांक प.2(30) नविवि/3/2016 पार्ट/1516–30 दिनांक 25.04.17 कि समस्त प्रकिया पूर्ण कर ली गई है।" • उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पटटा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानोनुसार सेट बेक छोडे जाने होगे।

9.	09.	पश्चिम	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 851/751 में भूखण्ड संख्या 8, भूखण्ड संख्या 8–ए, भूखण्ड संख्या 9 व सडक के पुनर्गठन के संबंध में।	समिति को अवगत करवाया गया कि नगरीय विकास विभाग ने अपने पत्रांक प.1(46)नविवि/ जोधपुर/ 2016 दिनांक 01.08.16 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कुछ सूचना चाही है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को उक्त सूचना प्रेषित कर दी जावे।
10.	10.	उत्तर	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 166 व 166/1 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।	समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि :– • प्रस्तुत ले आउट प्लान अनुसार सडक को न्यूनतम 30 फीट रखे जाने के पश्चात् विक्रय योग्य क्षेत्रफल 76.78 प्रतिशत प्राप्त होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा मौके पर 75 प्रतिशत से अधिक विक्रय योग्य क्षेत्रफल प्राप्त होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
11.	11.	उत्तर	राजस्व ग्रान भदवासिया के खसरा संख्या 52 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।	समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि निम्नांकित बाबत उपायुक्त से स्पष्ट रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे :– • आवेदित भूमि के मध्य कोई सरकारी भूमि स्थित है अथवा नहीं बाबत। • समाचार पत्र में जारी विज्ञप्ति के क्रम में आपत्ति है अथवा नहीं बाबत। • प्रश्नगत भूमि अवाप्ति में है या नहीं एवं योजना के अनुमोदन में विधिक रूप से कोई आपत्ति है अथवा नहीं बाबत। • प्रश्नगत खसरे की जमाबंदी, खसरा ट्रेस एवं प्रारूप–7 आदि पत्रावली के साथ संलग्न करवाते हुए विस्तृत जांच कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करे। • आवेदित भूमि एच टी लाईन से प्रभावित है अथवा नहीं, तथा क्षमता बाबत टिप्पणी।
12.	12.	दक्षिण	राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 6/4 एवं 11 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।	समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि:– • प्रकरण में 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण एवं 17.06.1999 से पूर्व के दस्तावेज है। इस सम्बन्ध में टिप्पणी पत्रावली के पृष्ठ संख्या 40 पर संलग्न मानचित्र पर अंकित है। • आवेदित भूमि का भू उपयोग आवसीय दर्शित है एवं इसकी टिप्पणी पत्रावली के बिन्दु संख्या 7 पर अंकित है। पार्ट लेण्ड यूज प्लान पत्रावली के पृष्ठ संख्या 41 पर संलग्न है। • खसरा संख्या 6/4 व 11 का क्षेत्रफल विश्लेषण आवासीय 63.75 प्रतिशत एवं सडक 36.25 प्रतिशत प्राप्त होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पत्रावली पर निम्नांकित बाबत उपायुक्त की रिपोर्ट ली जावे :– • प्रश्नगत प्रकरण में कोई सरकारी भूमि सम्मिलित तो नहीं है। • प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त हुई है अथवा नहीं, बाबत टिप्पणी। • विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है, भूमि अवाप्ति में भी नहीं है, बाबत टिप्पणी। • आवेदित भूमि एच टी लाईन से प्रभावित है अथवा नहीं, तथा क्षमता बाबत टिप्पणी। उपरोक्त रिपोर्ट उपायुक्त से प्राप्त होने के पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ ले आउट प्लान अनुमोदन का निर्णय लिया गया:– • नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु (iv) के अनुसार उपायुक्त प्रश्नगत ले आउट प्लान पर यह अंकित करेंगे की "प्रश्नगत प्रकरण में कोई सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं है यदि कोई सरकारी भूमि पाई जाती है तो इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/आदेशों अनुसार उपायुक्त अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, विधिक दृष्टि से भी कोई

				आपत्ति नहीं है, भूमि अवाप्ति में भी नहीं है, मौके पर 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण है, उक्त कॉलोनी 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी हुई है एवं राज्य सरकार के आदेश कमांक प.2(30) नविवि/3/2016 पार्ट/1516-30 दिनांक 25.04.17 की समस्त प्रकिया पूर्ण कर ली गई है।" • उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पटटा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानोनुसार सेट बेक छोडे जाने होगे। • प्रकरण में मास्टर प्लान अनुसार सडक के सहारे सहारे व्यावसायिक दर्शित है। अतः मास्टर प्लान अनुसार सडक के सहारे सहारे एकल भूखण्ड अथवा 100 फीट में से जो भी कम हो व्यावसायिक रखा जावे। • आवेदित कॉलोनी के 17.06.1999 से पूर्व होने के कारण उत्तर दिशा में स्थित सरकारी रास्ते का मार्गाधिकार 40 फीट रखा जाकर सडक के मध्य से 20 फीट छोडते हुए संशोधन मानचित्र में दर्शाया जावे।

उक्त कार्यवाही विवरण का अनुमोदन सचिव महोदय द्वारा पत्रावली के पेरा 6 एन पर एवं आयुक्त महोदय द्वारा 7 एन एवं एम्पावर्ड समीति के अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन 8 एन पर है।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(मुकेश मित्तल)
निदेशक (आयोजना)
एवं सदस्य सचिव, एम्पावर्ड कमेटी
जोविप्रा जोधपुर
दिनांक:- 04/10/17

क्रमांक :- 2063-2068

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की बेवसाईट पर अपलोड करें।

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव, एम्पावर्ड कमेटी
4/10/17

परिशिष्ट–"1"

एम्पावर्ड कमेटी की प्रथम बैठक 2/2017 वीं बैठक दिनांक 26.09.2017 को प्रातः 9:30 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. महेन्द्र राठौड की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई. बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

1.	श्री दुर्गेश बिस्सा, आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
2.	श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3.	श्री डी.के. मीणा निदेशक (अभियांत्रिकी) , जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री श्रवण कुमार, उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	विशेष आमंत्रित
5.	श्रीमती चंचल वर्मा, उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	विशेष आमंत्रित
6.	श्री अनिल कुमार पूनिया, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	विशेष आमंत्रित
7.	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	विशेष आमंत्रित
8.	श्री मुकेश मित्तल, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव
9.	श्री सुखराम चौधरी, अधीक्षण अभियंता, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	
10.	श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	
11.	श्री सुनिल चौहान, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	
12.	श्री इन्द्रजीत राठौड, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव, एम्पावर्ड कमेटी
4/10/17